तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
06/03/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। तहसील बांदीकुई के पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/823 दिनांक 05/03/25 के द्वारा कुरेजात प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। वास्ते अवलोकन/बहस कुरेजात पत्रावली दिनांक 19/03/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
19/03/25	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य में व्यस्त होने/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायालय पीठासीन अधिकारी नहीं बैठे। अतः पेशी की गई। अतः आदेश की पालना में दिनांक 25/03/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
25/03/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वादपत्र पर बहस वादी वकील की गयी। कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी। हमने वादी वकील बहस परमनन किया। पत्रावली व तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। बहस वादीगण वकील परमनन करने एवं पत्रावली व प्राप्त कुरेजात के अवलोकन के आधार पर वादी का वाद दावा तकरीर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अंतिम डिक्री जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली कुलदीप कुमार होकर वाद तामील दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

PH:-01420-228487
E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–99 / 2018
प्रकरण दायर दिनांकः– 16.05.2018
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 25.03.2025

उनवान

1. इन्द्र कंवर पत्नि (बेवा) स्व. श्री रघुवीरसिंह उम्र 62 वर्ष, जाति राजपूत निवासी नंदेरा, तहसील बसवा जिला दौसा।

बनाम

1. मनोहर लाल पुत्र भरत्या
2. सुन्दरी पत्नि (बेवा) भरत्या
3. जगदीश पुत्र रामप्रसाद
4. पूनी पत्नि (बेवा) रामप्रसाद
5. नाथूलाल
6. फतेहसिंह — पुत्रान मोती
7. हीरालाल
8. किशोर पुत्र हरसहाय
9. बाबूलाल
10. रमेश — पुत्रान छाज्या
11. अशोक

— समस्त जाति बैरवा निवासी नंदेरा, तहसील बसवा

12. शांति पुत्री छाज्या
13. कमला पुत्री छाज्या पत्नि रामस्वरूप जाति बैरवा, निवासी हाउसिंग बोर्ड गुप्तेश्वर रोड, दौसा, तहसील दौसा, जिला दौसा
14. श्यामसिंह पुत्र किशनसिंह
15. राजेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह
16. हिम्मतसिंह पुत्र रघुनाथसिंह

— समस्त जाति राजपूत निवासी नंदेरा तह. बसवा

17. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बांदीकुई जरिये शाखा प्रबंधक बांदीकुई
18. भारतीय स्टेट बैंक शाखा बांदीकुई जरिये शाखा प्रबंधक सिकंदरा रोड, बांदीकुई
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा भूस्वामी

दावा तकास्मा

मुकदमा नं.–99 / 2018 सन्–2018

निर्णय दिनांक 25.03.2025

Scanned with OKEN Scanner

वादिया द्वारा वाद पत्र बाबत भूमि एवं लगान का विधिवत विभाजन, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि राजस्व गॉव नन्देरा, तहसील बसवा जिला दौसा में निम्न सारणियों में दर्ज भूमियात–

सारणी कमांक–1

कृषि वर्ष	खाता संख्या	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में	लगान रूपये में
2070–73	नया 257 पुराना 297	1219	0.2900	4.64
		1221	0.9100	14.56
		1229	0.6000	9.60
		1231	0.0300	0.18
		1255	0.4100	2.46
		1256	0.0100	0.00
		1258	0.1800	1.08
		1415	0.1500	0.90
		1416	0.2900	4.64
कुल किता खसरा नंबर 9 क्षेत्रफल 2.8700 हैक्टेयर				**38.06**

सारणी कमांक–2

कृषि वर्ष	खाता संख्या	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में	लगान
2070–73	नया 258 पुराना 298	1141	0.4400	7.04
		1143	0.2100	3.35
		1146	0.1800	2.88
		1186	0.3400	5.44
		1187	0.3700	5.92
कुल किता खसरा नंबर 5 कुल क्षेत्रफल 1.5400 हैक्टेयर				**24.64**

स्थित है । उक्त वर्णित भूमि सारणी कमांक 1 व 2 वादिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 16 की सम्मिलित खातेदारी की भूमि राजस्व अभिलेख में चली आती रही है। सारणी कमांक 1 में दर्ज भूमियात में वादिया का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 14, 15 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 16 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 का 1/16, प्रतिवादी नंबर 03, 04 का हिस्सा 1/16, प्रतिवादी संख्या 18 का हिस्सा 1/16 तथा प्रतिवादीगण नं. 9 से 13 का हिस्सा 1/4 अभिलिखित है। सारणी कमांक 2 में दर्ज भूमियात में वादिया का हिस्सा 1/3, प्रतिवादीगण नं. 14, 15 का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादीगण संख्या 16 का हिस्सा 1/3 अभिलिखित है। वादिया एवं प्रतिवादीगण 1 से 16 ने भूमि विवादग्रस्त को मौके पर अपनी सहमति से बांट रखा है और वादिया तथा प्रतिवादीगण नं. 1

Scanned with OKEN Scanner

से 16 अपने अपने हिस्से अनुसार आपसी सहमति से विभाजित भूमि पर मौके पर काबिज काश्त है। चूंकि वादिया भूमि विवादग्रस्त की सारणी नं. 01 में अभिकथित कुल भूमि क्षेत्रफल 2.8700 हैक्टेयर के 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार है, जिसके अनुसार वादिया के हिस्से में सारणी कमांक 01 में अभिकथित भूमि में से 0.4783 हैक्टे. भूमि तथा भूमि विवादग्रस्त की सारणी कमांक 02 में अभिकथित कुल क्षेत्रफल 1.5400 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्से भूमि की खातेदार, काश्तकार है। जिसमें से वादिया के हिस्से में 0.5133 हैक्टे. भूमि आती है। इस प्रकार भूमि विवादग्रस्त दोनो सारणियों में अभिकथित भूमियात के अनुसार कुल क्षेत्रफल में से वादिया के हिस्से 1/6, 1/3 के अनुसार करीब 0.9916 हैक्टेयर भूमि आती है। इसके साथ ही उपरोक्त दोनो सारणियों में अभिकथित भूमि एक जगह नहीं होकर दूर-दूर स्थित है इसलिये वादिया एवं प्रतिवादीगण नंबर 14, 15 व 16 ने आपसी सहमति से भूमि विवादग्रस्त का मौके पर इस प्रकार विभाजन कर रखा है कि विवादग्रस्त भूमि के कुल क्षेत्रफल में से वादिया के हिस्से 1/6, 1/3 के अनुसार करीब 0.9916 हैक्टेयर भूमि एक जगह खसरा नं. 1221 क्षेत्रफल 0.9100 हैक्टेयर भूमि वादिया को देकर तथा प्रतिवादीगण नं. 14, 15 व 16 ने सारणी कमांक 01 के 1/2 की खसरा नं. 1221 की भूमि छोडकर शेष हिस्से 1/2 की भूमि व सारणी कमांक 02 में अभिलिखित खसरा नम्बरान के कुल क्षेत्रफल की सम्पूर्ण भूमि अपने पास रखकर तथा सारणी कमांक 1 की शेष 1/2 भूमि प्रतिवादीगण नंबर 1 से 13 को उनके हिस्से अनुसार भूमि देकर बाहमी रूप से अर्सा काफी समय करीब 12-15 वर्षो से बंटवारा कर काश्त करते चले आ रहे है। तथा लगान भी अपने अपने हिस्से का जमा कराते चले आ रहे है। इस प्रकार भूमि विवादग्रस्त के खसरा नंबर 1221 रकबा 0.9100 हैक्टे पर काबिज काश्त सहखातेदारो के आपसी सहमति से मौके पर किये गये बॅटवारे के अनुसार काबिज काश्त है चूंकि भूमि विवादग्रस्त वादिया एवं प्रतिवादीगण नं. 1 से 16 की सहखातेदारी की भूमि है, इसलिये वादिया अपने हिस्से दर्ज जमाबंदी के अनुसार भूमि का विधिवत बॅटवारा करवाने की अधिकारिणी है। वादिया एक विधवा महिला है जिसे सम्मिलित खातेदारी की भूमि पर आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी व पद्धति से काश्त करना संभव नहीं होने के कारण वादिया ने दिनांक 24.03.2018 को प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 16 ने इंकार कर दिया और प्रतिवादीगण नं. 01 से 8 ने कहा कि उन्होने भूमि विवादग्रस्त सारणी नंबर 1 में अभिलिखित भूमि का बॅटवारे का दावा न्यायालय में पेश किया हुआ है। इसलिये हम बॅटवारा नहीं करायेंगे। चूंकि भूमि विवादग्रस्त एक ही तहसील व गॉव में स्थित है। इसलिये दोनो खातों की भूमि का विधिवत बॅटवारा एक ही वाद पत्र के जरिये कराया जाना न्यायोचित होने से यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादिया को वादकारण दिनांक 24.03.2018 को प्रतिवादीगण द्वारा भूमि विवादग्रस्त का विधिवत बॅटवारा कराने से इंकार होने से उत्पन्न हुआ है। भूमि विवादग्रस्त गॉव नंदेरा तहसील बसवा में स्थित है, इसलिये वाद पत्र की सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः वाद पत्र वादिया पेश कर अर्ज है कि वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें कि डिक्री बाबत भूमि एवं लगान के विभाजन की बहक वादिया विरूद्ध जात व जायदाद

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण इस प्रकार पारित की जावें कि भूमि विवादग्रस्त जिसका वर्णन वाद पत्र चरण संख्या 01 में किया गया है, उसमें से वादिया के हक हिस्से भूमि का सरस नरस विभाजन कर वादिया को उसके हिस्से भूमि को एक जगह प्लॉट के रूप में दी जावें। वादिया के हिस्से में आने वाली भूमि के सरकारी लगान का पृथक से निर्धारण किया जाकर राजस्व अभिलेख जमाबंदी पृथक से बनाई जावें। खर्चा मुकदमा वादिया को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

वादिया वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। वादिया एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प नंदेरा में वाद को प्राथमिक डिकी किये जाने बाबत सहमति प्रकट की गयी । उभयपक्ष द्वारा सहमति प्रकट करने पर वादिया वाद प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार बॉदीकुई को कुरैजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 823 दिनांकः 05.03.2025 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव का वादिया वकील द्वारा अवलोकन किया गया। कुर्रेजात पर वादिया वकील बहस सुनी गयी। वादिया वकील ने बहस में वाद में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने वादिया वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया। कुर्रेजात अवलोकन से प्रकट है कि प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाये गये हैं।

प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादिया वाद को अंतिम डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादिया वाद दावा तकास्मा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है–

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टियॉ	प्रस्तावित कुरैजात			
	कम सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा
खाता संख्या 255 इन्द्रकंवर पत्नि रघुवीरसिंह हि. 1/3 राहिन एसबीआई शाखा बांदीकुई, राजेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह हि. 1/6 श्यामसिंह पुत्र किशनसिंह	1	इन्द्रकॅवर पत्नि रघुवीर सिंह हि. सम्पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण भारतीय स्टेट बैंक शाखा बांदीकुई	1221/1 1416/2 1187/2 1141/4	0.2435 0.2348 0.3000 0.2134
		योग	4	0.9917

Scanned with OKEN Scanner

हि. 1/6 हिम्मतसिंह पुत्र रघुनाथसिंह हि. 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	2	राजेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह हि. सम्पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार	1221/3 1219/1 1186/3 1187/1 1141/3	0.1882 0.0509 0.1000 0.07 0.0866
		योग	5	0.4957
खाता संख्या 256 अशोक पुत्र छाज्या हि. 1/24 जाति बैरवा सा. देह खातेदार शेष इन्द्राज जमाबंदी बदस्तूर	3	श्यामसिह पुत्र किशनसिंह हि. सम्पूर्ण जाति राजपूत सा.देह खातेदार	1219/2 1186/2 1141/2	0.2391 0.17 0.0867
		योग	3	0.4958
	4	हिम्मतसिंह पुत्र रूगनाथसिंह हि. सम्पूर्ण सा. देह खातेदार	1221/2 1143 1146 1141/1 1186/1	0.4783 0.21 0.18 0.0533 0.07
		योग	5	0.9916
	5	अशोक पुत्र छाज्या हि. 1/12 उगन्ति पुत्री मोती हि. 1/32 कमला पुत्री छाज्या हि. 1/12, किशनी पत्नि छाज्या हि. 1/12, किशोर पुत्र हरसहाय हि. 1/8, जगदीशप्रसाद पुत्र रामप्रसाद हि. 1/16, नाथूलाल पुत्र मोती हि. 1/32 पूनी पत्नि रामप्रसाद हि. 1/16, फतेहसिंह पुत्र मोती हि. 1/32, बाबूलाल पुत्र छाज्या हि. 1/12, मनोहरलाल पुत्र भरत्या हि. 1/16, रमेश पुत्र छाज्या हि. 1/12, शान्ति पुत्री छाज्या हिस्सा 1/12 सुन्दरी पत्नि भरत्या हि. 1/16 हीरालाल पुत्र मोती हि. 1/32 समस्त जाति बैरवा सा. देह खातेदार	1229 1231 1255 1256 1258 1415 1416/1	0.60 0.03 0.41 0.01 0.18 0.15 0.0552
		योग	7	1.4352

कुरैजात, निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। अंतिम डिकी जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 25.03.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

25/3/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई मुकाम–बॉदीकुई
जज इजलास–श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई

उनवान

1. इन्द्र कंवर पत्नि (बेवा) स्व. श्री रघुवीरसिंह उम्र 62 वर्ष, जाति राजपूत निवासी नंदेरा, तहसील बसवा जिला दौसा।

बनाम

1. मनोहर लाल पुत्र भरत्या
2. सुन्दरी पत्नि (बेवा) भरत्या
3. जगदीश पुत्र रामप्रसाद
4. पूनी पत्नि (बेवा) रामप्रसाद
5. नाथूलाल
6. फतेहसिंह — पुत्रान मोती
7. हीरालाल

समस्त जाति बैरवा निवासी नंदेरा तह. बसवा जिला दौसा

8. किशोर पुत्र हरसहाय
9. बाबूलाल
10. रमेश
11. अशोक

पुत्रान छाज्या — समस्त जाति बैरवा निवासी नंदेरा, तहसील बसवा हाल निवासी हसनपुरा ए जयपुर तह. जयपुर

12. शांति पुत्री छाज्या
13. कमला पुत्री छाज्या पत्नि रामस्वरूप जाति बैरवा, निवासी हाउसिंग बोर्ड गुप्तेश्वर रोड, दौसा, तहसील दौसा, जिला दौसा
14. श्यामसिंह पुत्र किशनसिंह
15. राजेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह
16. हिम्मतसिंह पुत्र रघुनाथसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी नंदेरा तह. बसवा

17. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बांदीकुई जरिये शाखा प्रबंधक बांदीकुई
18. भारतीय स्टेट बैंक शाखा बांदीकुई जरिये शाखा प्रबंधक सिकंदरा रोड, बांदीकुई
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा भूस्वामी

दावा तकास्मा

मुकदमा नं.–99/2018 सन्–2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण वकील–श्री रघुवीर सिंह व हाजिरी प्रतिवादीगण वकील ..... मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिय मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादिया वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादिया वाद दावा तकास्मा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार बॉदीकुई तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। कुरैजात, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

मेज.....मुबलिग.....बाबत्.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से
तारीख अदायगी तक..... का अदा करें।
सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 03 सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत.....
मोहर.....

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कगिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

25/3/25
उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)